



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझुनूं में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स का सहायक लेखा लिपिक 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 24 फरवरी, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये बलराम सहायक लेखा लिपिक राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0, झुंझुनूं को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी को पूर्व आंवटित दुकान की सिक्क्योरिटी राशि वापस करने की एवज में बलराम सहायक लेखा लिपिक राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0, झुंझुनूं द्वारा 5 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के पुलिस उप अधीक्षक श्री जाकिर अख्तर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चन्द मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये बलराम पुत्र श्री हनुमान राम निवासी गांव मीठड़ी थाना व तहसील नावां, जिला नागौर हाल सहायक लेखा लिपिक, कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0, झुंझुनूं को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।